रजिस्टर्ड नं० एल० 33/एस० एम० 14.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 17 नवम्बर, 1990/26 कार्तिक, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एव राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 17 अगस्त, 1990

स० एल० एल० आर० (राजभाषा) (बी) (16)-11/90.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए "दि हिमाचल प्रदेश हाऊसिंग बोर्ड एक्ट, 1972 (1972 का 10)" के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाष रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देत हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा

(हिन्दी) म प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा म ही करना अनिवार्य होगा ।

हस्ताक्षरित/-

सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972

(1972 का 10)

(30 मार्च, 1990 को यथा विद्यमान)

20 अप्रैल, 1972

आवास सुविधा की आवश्यकता के समाधान और उसके लिए उपाय करने के उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "संलग्न क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो इस अधिनियम की धारा 27 के अधीन संलग्न क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) "बोर्ड" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "बोर्ड परिसर" से बोर्ड से सम्बन्धित या उसमें विहित, या बोर्ड द्वारा पट्टे पर लिया गया कोई परिसर, या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बोर्ड को सौंपा गया या उसके कब्जे में या नियंत्रणाधीन कोई परिसर अभिप्रेत है ;

(घ) "भवन सामग्री" से ऐसी वस्तुएं या चीजें अभिप्रत ह, जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा भवन सामग्री के रूप में विनिर्दिष्ट की गई हों" ;

(ङ) "उप-विधियों" से इस अधिनियम की धारा 54 के अधीन बनाई गई उप-विधियों अभिप्रेत हैं ;

(च) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(छ) "समिति" से इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन नियुक्त कोई समिति अभिप्रेत है ;

(ज) "सरकार या राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार की सरकार अभिप्रेत है ;

(झ) "आवास स्कीम" से इस अधिनियम के अधीन विरचित आवास स्कीम अभिप्रेत है;

(ञ) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि से उदभूत होने वाले फायदे और भूबद्ध या भूबद्ध किसी वस्तु से स्थायी रूप से संलग्न वस्तुएं है ;

(ट) "स्थानीय प्राधिकरण" से हिमाचल प्रदेश राजधानी (विकास और विनियम) अधिनियम, 1968 (1969 का 22) और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 (1968 का 19) के अधीन स्थापित नगर निगम/नगरपालिका समिति/अधिसूचित क्षेत्र समिति या हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) के अधीन गठित

क्रमश: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् अभिप्रेत है ;

(ठ) "महायोजना" से किसी नगर क्षेत्र के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तैयार और अनुमोदित महायोजना (मास्टर प्लान) अभिप्रेत है ;

(ड) "सदस्य" से बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य अभिप्रेरित हैं ;

(ढ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ण) "परिसर" से चाहे कृषि प्रयोजन या गैर कृषि प्रयोजन या किसी भवन या भवन के भाग के लिए प्रयुक्त कोई भूमि अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है :—

(i) ऐसे भवन या भवन के भाग से संबन्धित बागीचे, मैदान और उप-गृह, यदि कोई हों, और

(ii) अधिक लाभप्रद उपभोग के लिए ऐसे भवन या भवन के भाग में की गई कोई फिटिंग ;

(त) "विहित" से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(थ) "कार्यक्रम" से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा तैयार वार्षिक आवास कार्यक्रम अभिप्रेत है ;

(द) "विनियम" से इस अधिनियम की धारा 53 के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है ;

(थ) "नियम" से इस अधिनियम की धारा 52 के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं ;

(न) "सचिव" से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है ;

(प) "वर्ष" से अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने और मार्च के इक्तीसवें दिन को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है ।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के व ही अर्थ होंगे जो हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 (1969 का 19) में उनके ह ।

अध्याय—2

बोर्ड की स्थापना

बोर्ड की स्थापना और गठन ।

3. (1) ऐसी तारीख, जो राज्य सरकार इस निमित अधिसूचना द्वारा नियत करें, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए "हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड" के नाम से एक बोर्ड की स्थापना की जाएगी जिसका मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) बोर्ड उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और सामान्य मुद्रा होगी और इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियम द्वारा या उसके अधीन किसी निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, उसे जंगम या स्थावर संपत्ति को अर्जित, धारण, प्रबन्ध और अन्तरित करने और संविदा करने की शक्ति होगी और उपर्युक्त नाम से वह वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा और उन प्रयोजनों के लिए ऐसी सभी बातें करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ।

(3) इस अधिनियम और भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के प्रयोजनों के लिए बोर्ड एक स्थानीय निकाय समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण:—उप-धारा (3) में निर्दिष्ट इस अधिनियम के प्रयोजनों के अन्तर्गत है, इस

अधिनियम या उसके अधीन बोर्ड से संबंधित या उसमें विहित भूमि और भवनों का प्रबन्ध और उपयोग और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि और ऐसे भवनों पर और उनके सम्बन्ध में इसके अधिकारों का प्रयोग है।

(4) बोर्ड, अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे अन्य सदस्यों द्वारा गठित होगा, अर्थात् :

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार का वित्त सचिव पदेन सदस्य,
(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार का सचिव (आवास), पदेन सदस्य,
(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार का सचिव (स्थानीय स्वशासन), पदेन सदस्य,
(घ) मुख्य अभियन्ता (I), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, पदेन सदस्य,
(ङ) मुख्य अभियन्ता (II), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, पदेन सदस्य,
(च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त तीन गैर-सरकारी सदस्य,
(छ) हिमाचल प्रदेश से संसद के सभी सदस्य जो निर्माण और आवास संघ मंत्रालय की परामर्श समिति के सदस्य हैं, और
(ज) धारा 13 के अधीन नियुक्त बोर्ड का सचिव।

अध्यक्ष या सदस्य।

(5) अध्यक्ष या सदस्य, राज्य सरकार को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर के किसी भी समय अपने पद का त्याग कर सकेगा :

परन्तु जब कि त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया जाता, वह प्रभावी नहीं होगा।

(6) जब तक कि पूर्ववर्ती उप-धाराओं के अनुसार बोर्ड स्थापित और गठित नहीं किया जाता, राज्य सरकार, एक व्यक्ति से गठित जो राज्य सरकार का अधिकारी होगा, और जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, बोर्ड का गठन कर सकेगी और इस प्रकार गठित बोर्ड, इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, इस अधिनियम के सभी उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए स्थापित और गठित बोर्ड समझा जाएगा।

हिमाचल प्रदेश नगर किराया नियंत्रण अधिनियम, 1971 का लागू न होना।

4. हिमाचल प्रदेश नगर किराया नियंत्रण अधिनियम, 1971 (1971 का 23) बोर्ड की या उसमें इस अधिनियम के अधीन या प्रयोजनों के लिए निहित किसी भूमि या भवन को और बोर्ड के विरुद्ध, ऐसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सृजित किन्हीं अभिधृतियों या इसी प्रकार के अन्य संबंधों को नहीं लागू होगा, न ही कभी लागू हुआ समझा जाएगा, किन्तु बोर्ड को किराए पर दी गई किसी भूमि या भवन को लागू होगा।

अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि।

5. बोर्ड का अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।

बोर्ड में नियुक्ति के लिए निर्हताएं।

6. (1) कोई व्यक्ति बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में, नियुक्त किए जाने या बने रहने के लिए निहित होगा, यदि वह —

(क) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए दण्ड न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाया है, जब तक कि ऐसे दोषसिद्ध को अपास्त नहीं कर दिया जाता,
(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है,
(ग) विकृत चित है,
(घ) बोर्ड के अधीन अधिकारी या कर्मचारी है ;
(ङ) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वयं, या किसी भागीदार, नियोजक या कर्मचारी द्वारा, बोर्ड के साथ, द्वारा या की ओर से, किसी संविदा या नियोजन में कोई शेयर या हित रखता है, या

(च) किसी नियमित कम्पनी का, निदेशक या सचिव, प्रबन्धक या अन्य वैतनिक अधिकारी है, जिसका बोर्ड के साथ, द्वारा या की ओर से, किसी संविदा नियोजन में कोई अंश या हित है,

(छ) भारत का नागरिक नहीं है।

(2) कोई व्यक्ति, फिर भी, उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के अधीन निर्हित नहीं होगा या इन खण्डों के अर्थान्तर्गत किसी संविदा या नियोजन में केवल इस कारण से उसका कोई शेयर या हित नहीं समझा जाएगा कि उसका या निगमित कम्पनी का जिसका वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य वैतनिक अधिकारी है, निम्नलिखित में कोई अंश या हित है :—

(i) स्थावर संपत्ति के किसी विक्रय, क्रय, पट्टे या विनिमय या उसके किए किसी करार में;

(ii) धन के ऋण के लिए कोई करार या केवल धन के संदाय के लिए कोई प्रतिभूमि ;

(iii) कोई समाचार पत्र जिसमें बोर्ड के कार्यकलाप से संबंधित विज्ञापन हो अन्तर्विष्ट है ;

(iv) बोर्ड के साथ दो हजार रुपये से अनधिक मूल्य तक किसी एक वस्तु में, यदा कदा विक्रय, जिसमें वह या निगमित कम्पनी नियमित रूप से व्यापार करती हो।

(3) कोई व्यक्ति केवल किसी ऐसी कम्पनी का शेयर धारक होने के कारण से भी जिसकी बोर्ड के साथ या उसकी ओर से कोई संविदा या नियोजन है। उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के अधीन निर्हित नहीं होगा या उसका किसी निगमित कम्पनी में कोई शेयर या हित न जाएगा :

परन्तु यह तब जब कि व्यक्ति, उसके द्वारा धारित शेयर की प्रकृति और परिमाण को प्रकट करे।

स्पष्टीकरण.— उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के प्रयोजन के लिए, आवास बोर्ड का अध्यक्ष, बोर्ड के अधीन अधिकारी या कर्मचारी नहीं समझा जाएगा।

अध्यक्ष और सदस्यों के पारिश्रमिक।

7. (1) अध्यक्ष को ऐसा वेतन और भत्ते संदत्त किए जाएंगे जो समय-समय पर, सरकार द्वारा नियत किए जाएं।

(2) प्रत्येक सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेगा जो सरकार द्वारा नियत किए जाएं।

(3) सदस्यों के भत्ते और अध्यक्ष का पारिश्रमिक बोर्ड निधि से संदत्त किया जाएगा।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति छुट्टी और कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति।

8. (1) सरकार, समय-समय पर, अध्यक्ष को ऐसी छुट्टी मंजूर कर सकेगी जो नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो।

(2) जब कभी अध्यक्ष के पद में अस्थायी रिक्ति हो, तो सरकार ऐसी रिक्ति की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगी और ऐसे व्यक्ति को ऐसा पारिश्रमिक और भत्ते संदत्त करेगा जो उसके द्वारा नियत किए जाएं। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष समझा जाएगा।

सदस्यों की रिक्ति ।

9. यदि कोई सदस्य,—

(क) धारा 6 में वर्णित निर्हताओं में से किसी के अधीन हो जाता है ;

(ख) सरकार को अपना लिखित त्यागपत्र देता है और वह स्वीकृत कर लिया जाता है;

(ग) बोर्ड की तीन लगातार बैठकों से, बोर्ड की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित है ;

तो वह ऐसी तारीख से सदस्य नहीं रहेगा जो सरकार द्वारा घोषित की जाए ।

रिक्ति का यथासाध्य शीघ्रता से भरा जाना ।

10. बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य की कोई रिक्ति, यथासाध्य शीघ्रता से भरा जाएगी :

परन्तु ऐसी किसी रिक्ति के दौरान बन रहने वाले सदस्य, ऐसे कार्य कर सकेंगे मानों कि कोई रिक्ति हुई हो ।

मान्य और विधि मान्य उपधारित कार्यवाहियां ।

11. बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्यकारी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई निर्हता या त्रुटि, बोर्ड के किसी कार्य या कार्यवाही को दूषित करने वाली नहीं समझी जाएगी, यदि अन्यथा ऐसा कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार है ।

सदस्यों की अस्थायी अनुपस्थिति ।

12. यदि अध्यक्ष से भिन्न, बोर्ड का कोई सदस्य, अंगशैथिल्य द्वारा या अन्यथा अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में अस्थायी रूप म असमर्थ हो जाता है, या छुट्टी पर रहते अनुपस्थित है, या अन्यथा उसकी नियुक्ति की रिक्ति अन्तर्वलित नहीं होती है, तो सरकार किसी व्यक्ति को, उसके लिए स्थानापन्न रूप से कार्य करने और इस अधिनियम या तद्धीन व ाए किसी नियम या विनियम के अधीन उसके कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।

अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और पदों का सृजन ।

13. (1) राज्य सरकार, बोर्ड का एक सचिव सेवा के ऐसे निबन्धों और शर्तों पर जो यह उचित समझे, नियुक्त कर सकेगी ।

(2) बोर्ड ऐसे अन्य पदों का सृजन और उन पर ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जैसे यह उसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन के लिए यह आवश्यक समझें :

परन्तु निम्नलिखित के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी,—

(क) किसी पद के सृजन के लिए जिसका न्यूनतम वेतनमान, या तो एक हजार रुपये प्रति मास से अधिक है या उसके वेतनमान का अधिकतम एक हजार आठ सौ पचास रुपए प्रतिमास से अधिक है ; या

(ख) किसी व्यक्ति को, ऐसे पद पर नियुक्ति, चाहे प्रोन्नति द्वारा या अन्यथा, यदि उसका प्रारम्भिक वेतन मान आठ सौ रुपए प्रतिमास से अधिक है या पद के वेतनमान का अधिकतम एक हजार दो सौ पचास रुपए प्रतिमास से अधिक है ।

(3) उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहत हुए बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, कृत्य और कर्त्तव्य ऐसे होंगे जो विनियम द्वारा अवधारित किए जाएं ।

अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ।

14. बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जैसी विनियम द्वारा अवधारित की जाए ।

भविष्य निधि ।

15. (1) राज्य सरकार, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अभिदायी भविष्य निधि की स्थापना करेगी और ऐसी भविष्य निधि, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के प्रयोजनों के लिए उसकी धारा 8 में किसी बात के होते हुए भी, सरकारी भविष्य निधि समझी जाएगी और ऐसी निधि राज्य सरकार या बोर्ड के ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रशासित की जाएगी जैसे राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

(2) बोर्ड, इसके प्रत्येक कर्मचारी की बाबत, जो उपयुक्त निधि का अभिदाता है, उपर्युक्त निधि में अभिदाय का ऐसा भाग, ऐसी रीति में संदत्त करेगा जो राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे ।

स्थापना अनुसूची का तैयार किया जाना और उसका रख-रखाव ।

16. बोर्ड प्रति वर्ष मई के प्रथम दिन से पहले उस वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन के आधार पर निम्नलिखित दर्शाते हुए स्थापना-अनुसूची तैयार करेगा और बनाए रखेगा :—

(i) अधिकारियों और कर्मचारियों (उन कर्मचारियों से भिन्न जिनको दैनिक रूप में वेतन दिया जाता है या जिनका वेतन किसी अस्थायी कार्य में भारित किया जाता है) की संख्या, पदनाम और श्रेणी और वेतनमान, जिन्हें यह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियोजित करना आवश्यक और उचित समझता है ;

(ii) बोर्ड द्वारा प्रत्येक ऐसे अधिकारी और कर्मचारी के संदत्त किए जाने वाले वेतन, फीस और भत्तों की रकम और प्रकार; और

(iii) बोर्ड द्वारा प्रत्येक ऐसे अधिकारी और कर्मचारी की छुट्टी के पारिश्रमिक, पैंशन और भविष्य निधि या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, संदत्त की जाने वाली राशि ।

सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सामान्य निर्हताएं ।

17. कोई व्यक्ति जिसका स्वयं या उसके भागीदार या एजेंट द्वारा, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, बोर्ड द्वारा या की ओर से किसी संविदा में या उसकी अधिकारी या कर्मचारी से अन्यथा बोर्ड के अधीन, द्वारा या की ओर से किसी नियोजन में कोई शेयर या हित हो, बोर्ड का अधिकारी या कर्मचारी नहीं बनेगा या रहेगा ।

समितियों की नियुक्ति ।

18. (1) बोर्ड इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, इसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए और विशेषतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त कृत्यों का निर्वहन विशेष स्थानीय क्षेत्र की परिस्थितियों और अपेक्षाओं का सम्यक् ध्यान रखते हुए, किया जाता है, समय-समय पर एक या अधिक समितियां नियुक्त कर सकेगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त कोई समिति, इसको सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए, ऐसी रीति में बैठक करेगी जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाए ।

कामकाज का संचालन

बोर्ड की बैठकें ।

19. बोर्ड, निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बैठक करेगा और समय-समय पर इसकी बैठकों के दिन, समय, नोटिस, प्रबन्ध और स्थगन की बाबत ऐसा इन्तजाम करेगा जैसा यह उचित समझे, अर्थात् :—

(क) साधारण बैठक, प्रत्येक दो मास में एक बार होगी ;

(ख) अध्यक्ष, जब कभी उचित समझे, विशेष बैठकें बुला सकेगा ;

(ग) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में सभा द्वारा उस अवसर के लिए अध्यक्षता के लिए चुने गए किसी सदस्य द्वारा की जाएगी ;

(घ) किसी भी बैठक में, सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मत के बराबर होने की दशा में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का दूसरा या निर्णायक मत होगा और वह इसका प्रयोग करेगा; और

(ङ) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त का अभिलेख इस प्रयोजन के लिए दी गई पुस्तक में दर्ज किया जाएगा।

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थाई रूप से सहयोजन।

20. (1) बोर्ड किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ सहयोजन कर सकेगा, जिसकी सहायता या सलाह, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के कार्यान्वित करने के लिए इस द्वारा वांछित हो :

परन्तु इस तरह सहयोजित व्यक्तियों की संख्या तीन से अधिक नहीं होगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी प्रयोजन के लिए बोर्ड के साथ सहयोजित व्यक्ति को, उस प्रयोजन से सुसंगत बोर्ड के विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(3) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, अपने प्रतिनिधियों को, बोर्ड की किसी बैठक में उपस्थित होने और बोर्ड के विचार-विमर्श में ऐसे मदों या विषयों पर भाग लेने के लिए जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, प्रतिनियुक्त कर सकेगी किन्तु ऐसे प्रतिनिधियों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

संविदा करने की शक्ति।

21. बोर्ड ऐसी सभी संविदाएं कर सकेगा और उनका पालन कर सकेगा जो यह इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।

संविदा का निष्पादन।

22. (1) बोर्ड की ओर से प्रत्येक संविदा, अध्यक्ष द्वारा (या बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा जो बोर्ड द्वारा विशेष या सामान्य आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए) की जाएगी :

परन्तु,—

(क) कोई संविदा जिसमें दस लाख रुपए और अधिक का व्यय अन्तर्विलित हो, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं की जाएगी, और

(ख) ऊपरी खण्ड (क) के अधीन रहते हुए, कोई संविदा जिसमें पांच हजार रुपय और अधिक व्यय अन्तर्विलित हो, बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं की जाएगी।

(2) उप-धारा (1) संविदा या प्राक्कलन के प्रत्येक फेर-फार या परित्याग और मूल संविदा या प्राक्कलन को भी लागू होगी।

संविदा मंजूर करने की बोर्ड की शक्ति का प्रत्यायोजन।

23. ऐसे किसी नियम के अधीन रहते ए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाया जाए, बोर्ड, आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि संविदा को मंजूर करने को, धारा 22 के अधीन उसे प्रदत्त शक्ति, उसक द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य होगी।

संविदाओं के निष्पादन के लिए अतिरिक्त उपबन्ध।

24. (1) अध्यक्ष या बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा, बोर्ड की ओर से प्रत्येक संविदा, धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति में और प्ररूप में की जाएगी जैसी विहित की जाए।

(2) कोई संविदा जो इस धारा और तद्धीन बनाए नियमों में यथा उपबंधित के अनुसार निष्पादित नहीं की गई है, बोर्ड पर आबद्धकर नहीं होगी।

अध्याय-3

आवास स्कीमें

आवास स्कीमों को लेने की बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य।

25. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन रहते हुए, बोर्ड ऐसी स्कीमों की विरचना और निष्पादन के लिए जो यह आवश्यक समझे, किसी क्षेत्र में जहां यह अधिनियम प्रवृत्त हैं, समय-समय पर व्यय उपगत कर सकेगा और संकर्म अपने हाथ में ले सकेगी।

(2) आवास स्कीम, निम्नलिखित किस्मों में से एक या ऐसी किस्मों में से दो या अधिक के संयोजन की या उनके किसी विशेष प्रकार की हो सकेगा, अर्थात्:—

(क) गह आवास स्कीम ;

(ख) नगर या कस्बा या गांव स्कीम ;

(ग) भूमि विकास स्कीम ;

(घ) सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास स्कीम ;

(ङ) औद्योगिक क्षेत्र विकास स्कीम।

(3) राज्य सरकार ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी यह अधिरोपित करना ठीक समझे, बोर्ड को किसी आवास स्कीम की विरचना और निष्पादन सौंप सकेगा चाहे उसके लिए इस अधिनियम में उपबन्ध किया गया हो या नहीं और इस पर बोर्ड ऐसी स्कीमों की विरचना और निष्पादन अपने हाथ में ले सकेगा मानों कि इसके लिए अधिनियम में उपबन्धित किया गया था।

(4) बोर्ड, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी करार पाई जाएं और राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसाइटी की ओर से या नियोजन की ओर से, किसी आवास स्कीम को, जब मकानों का निर्माण मुख्यतः उसके कर्मचारियों के निवास के लिए किया जाना हो, निष्पादन के लिए ग्रहण कर सकेगा।

प्रस्तावित स्कीम क्षेत्र में नए सन्निर्माणों या परिवर्धनों या परिवर्तनों का वर्जन।

26. बोर्ड, जैसे ही चाहे स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की प्रेरणा से, कोई स्कीम विरचित करता है और उसे निष्पादित करने का विनिश्चय करता है, तो राज्य सरकार, बोर्ड के अनुरोध पर, स्कीम की विशिष्टयां और विनिर्देश देते हुए और विस्तृत योजना और विनिर्देशों को देखने में अभिरुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, नोटिस के प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर, किसी कार्य दिवस को बोर्ड के कार्यालय में आमंत्रित करने वाले नोटिस सहित घोषणा करते हुए कि बोर्ड ने स्कीम को विरचित और निष्पादित करने का विनिश्चय किया है, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर सकेगी और यथापूर्वोक्त नोटिस सहित ऐसी अधिसूचना के ऐसे प्रकाशन पर कोई भी व्यक्ति, स्कीम के अन्तर्गत आन वाले क्षेत्र में, बोर्ड की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई नया संनिर्माण नहीं करगा या स्कीम क्षेत्र में विद्यमान किसी संरचना में परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा।

मामले, जिन के लिए आवास स्कीमों में उपबंध किया जाएगा।

27. तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, आवास स्कीम में निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् —

(क) क्रय द्वारा विनियम या अन्यथा स्कीम, के निष्पादन के लिए आवश्यक या द्वारा प्रभावित किसी सम्पत्ति का अर्जन;

(ख) किसी भूमि का क्रय द्वारा, विनियम या अन्यथा अर्जन, उसका प्लाटों में विभाजन और इसके विकास के पश्चात् या अन्यथा, सहकारी सोसाइटियों या अन्य व्यक्तियों को स्कीम के अनुसार उसका विक्रय ;

(ग) स्कीम में समाविष्ट किसी भूमि को तैयार करना या क्रम में रखना ;

(घ) स्कीम में समाविष्ट सम्पत्ति के स्वामियों के स्थलों का वितरण या पुनः वितरण ;

(ङ) मानव निवास के लिए अनुपयुक्त आवास के प्रभाग को बन्द करना या तोड़ना ;

(च) बाधा पहुंचाने वाले भवनों या भवनों के प्रभावों को तोड़ना ;

(छ) भवनों का संनिर्माण और पुनः निर्माण, उनका अनुरक्षण और परिरक्षण ;

(ज) स्कीम में समाविष्ट किसी सम्पत्ति का क्रय, किराए पर दिया जाना या विनियम;

(झ) मार्गों और पीछे वाली गलियों का संनिर्माण और परिवर्तन ;

(ञ) स्कीम के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्र में जल निकास, जल प्रदाय और रोशनी ;

(ट) स्कीम में समाविष्ट किसी क्षेत्र के फायदे के लिए पार्क, खेल के मैदान और खाली जगह और विद्यमान पार्क, खेल के मैदान खाली जगहों और पहुंच-मार्गों का विस्तार ;

(ठ) नदियों या अन्य स्रोतों और जल प्रदाय के साधनों के किसी हानि या संदूषण से स्कीम में समाविष्ट क्षेत्र के लिए अपेक्षित स्वच्छता सम्बन्धी इंतजाम ;

(ड) निवासियों, उद्योगों, संस्थानों, कार्यालयों, सहकारी या निगमित निकायों के किसी वर्ग, के लिए वास सुविधा ;

(ढ) स्कीम के प्रयोजन के लिए अग्रिम धन ;

(ण) संसूचना और परिवहन के लिए सुविधाएं ;

(त) ऐसी जानकारी और सांख्यिकी का संग्रहण जो इस अधिनियम के प्रयोजन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो; और

(थ) कोई अन्य मामला राज्य सरकार की राय में जिसके लिए, आवास सुविधा और या स्कीम में समाविष्ट किसी क्षेत्र या किसी संलग्न क्षेत्र की अभिवृद्धि या विकास या स्कीम की असाधारण दक्षता की दृष्टि से, व्यवस्था के लिए उपबन्ध करना; समीचीन हो।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, कोई भी सिफारिश पर, अधिसूचना, आवास स्कीम में सम्मिलित क्षेत्र के आस-पास या संलग्न क्षेत्र को, संलग्न क्षेत्र विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

वार्षिक आवास कार्यक्रम, बजट और स्थापना अन सूची तैयार और प्रस्तुत करना।

28. (1) अध्यक्ष, प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन से पूर्व ऐसे प्ररूप में जैसा विहित किया जाए, निम्नलिखित तयार करेगा और बोर्ड की विशेष बैठक में अनुमोदित करवाने के पश्चात् राज्य सरकार को भेजेगा :—

(i) कार्यक्रम ;

(ii) आगामी वर्ष के लिए बजट; और

(iii) पूर्व नियोजित के कमचारीवृन्द और आगामी वर्ष नियोजित किए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुसूची।

(2) कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित आएगा, --

(i) आवास स्कीमों को ऐसी विशिष्टियां जैसी विहित की जाएं, जिन्हें बोर्ड आगामी वर्ष, चाहे भागतः या पूर्णतः निष्पादित करने का प्रस्ताव करता है ;

(ii) किसी उपक्रम की विशिष्टियां, जिन्हें बोर्ड, आगामी वर्ष भवन सामग्री के उत्पादन के प्रयोजन से आगामी वर्ष संचालित करने या निष्पादित करने का प्रस्ताव करता है; और

(iii) ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी विहित की जाएं।

(3) बजट में पूंजी और राजस्व लेखाओं पर आगामी वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित करने वाली विवरणी अन्तर्विष्ट होगी।

कार्यक्रम, बजट और स्थापना अनुसूची की स्वीकृति।

29. राज्य सरकार, इसे भेजे गए, कार्यक्रम, बजट और अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्मचारिवृन्द की अनुसूची की मंजूरी ऐसे उपान्तरणों सहित, जैसे यह उचित समझे, दे सकेगी।

स्वीकृत कार्यक्रम का प्रकाशन।

30. राज्य सरकार, इसके द्वारा धारा 29 के अधीन मंजूर किए गए कार्यक्रम को, राजपत्र में प्रकाशित करेगी।

अनुपूरक कार्यक्रम और बजट।

31. बोर्ड इस वर्ष के दौरान, जिसके सम्बन्ध में धारा 29 के अधीन कार्यक्रम मंजूर किया गया है। किसी भी समय, राज्य सरकार को, अनुपूरक कार्यक्रम और बजट और कर्मचारीवृन्द की अतिरिक्त अनुसूची, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकेगा, और धारा 29 और 30 के उपबन्धों, ऐसे अनुपूरक कार्यक्रम को लागू होंगे।

बोर्ड द्वारा स्वीकृति के पश्चात कार्यक्रम में फेरफार।

32. बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा मंजूर किए गए किसी कार्यक्रम या उसके किसी भाग में, किसी भी समय फेर-फार कर सकेगा :

परन्तु ऐसा फेर-फार नहीं किया जाएगा, यदि इसमें, ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित किसी आवास के निष्पादन के लिए मूल रूप में मंजूर की गई राशि के दस प्रतिशत से अधिक व्यय अन्तर्वलित हो या इसके विस्तार या प्रयोजन को प्रभावित करता हो।

स्वीकृत आवास स्कीम का निष्पादित किया जाना।

33. राज्य सरकार द्वारा, धारा 29 और 30 के अधीन कार्यक्रम को मंजूर और प्रकाशित किए जाने के पश्चात् बोर्ड, धारा 32 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कार्यक्रम में सम्मिलित आवास स्कीमों के निष्पादन के लिए कार्यवाही करेगा।

राजपत्र में आवास स्कीम का प्रकाशन।

34. (1) धारा 33 के अधीन किसी आवास स्कीम के निष्पादन की कार्यवाही करने से पूर्व बोर्ड, स्कीम को अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करेगा। अधिसूचना में यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि आवास स्कीम में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र और उसके आस-पास की भूमियों को दर्शित करने वाली योजना का जनता द्वारा हर युक्ति-युक्त समय पर बोर्ड के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकेगा।

(2) अगर आवास स्कीम के प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कोई व्यक्ति, स्कीम से सम्बद्ध कोई सुझाव या आक्षेप लिखित रूप में बोर्ड को संसूचित करता है तो बोर्ड ऐसे सुझावों और आक्षेपों पर विचार करेगा, और स्कीम में उपान्तरण कर सकेगा जैसा यह उचित समझे ;

(3) बोर्ड तब, अधिसूचना द्वारा अंतिम स्कीम प्रकाशित करेगा। अधिसूना में यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि अन्तिम स्कीम में सम्मिलित किए गए क्षेत्र और आस-पास की भूमियों और अन्य विशिष्टियों को दर्शित करने वाली योजना का जनता द्वारा, हर युक्ति-युक्त समय पर, बोर्ड के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकेगा ;

(4) उप-धारा (3) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना, इस बात की निश्चायक साक्ष्य होगी कि कथित स्कीम विरचित की गई है।

स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि का आवास स्कीम के लिए बोर्ड का अंतरण।

35. (1) जब कभी भी, स्थानीय प्राधिकरण के किसी क्षेत्र में स्थित और स्थानीय प्राधिकरण में निहित कोई मार्ग, चौक या अन्य भूमि या उसका कोई भाग, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बजट में सम्मिलित किसी आवास स्कीम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, तो बोर्ड, यथास्थिति, अपेक्षित मार्ग, चौक या अन्य भूमि या उसके अन्य भाग को, इसे अन्तरित करने के लिए, सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण को नोटिस देगा।

(2) जहां स्थानीय प्राधिकरण सहमत हो जाए, ऐसा मार्ग, चौक या अन्य भूमि उसका भाग, बोर्ड में निहित हो जाएगा।

(3) जब कोई विवाद हो, मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा। राज्य सरकार, संबन्धित स्थानीय प्राधिकरण को सुनने के पश्चात्, मामले पर विनिश्चय करेगी। राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा। यदि राज्य सरकार यह विनिश्चय करती है कि ऐसा मार्ग, चौक, भूमि या उसका भाग बोर्ड में निहित होगा, यह तदनुसार निहित हो जाएगा।

(4) इस धारा की उप-धारा (2) और (3) के अधीन मार्ग, चौक, भूमि या उसके भाग का निहित होना, राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

(5) इस धारा की कोई भी बात, ऐसे मार्ग, चौक या भूमि के संबंध में, स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्यों और बाध्यताओं पर प्रभाव नहीं डालेगी और संबंधित स्थानीय प्राधिकरण, इस तरह निहित होते हुए भी, इस धारा के अधीन बोर्ड में, निहित भूमि में, सभी म्युनिसिपल सेवाएं करेगा जो प्रायः इस द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।

(6) इस धारा की कोई भी बात, ऐसे मार्ग, चौक या भूमि में किसी नाली या जल संकर्म में या पर स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारों या शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

इसमें निहित लोक मार्ग को परिवर्तित या बन्द करने की बोर्ड की शक्ति।

36. (1) बोर्ड, इसमें निहित किसी सार्वजनिक मार्ग या उसके भाग को परिवर्तित कर सकेगा या सार्वजनिक उपयोगिता को रोक सकेगा या स्थायी तौर पर बन्द कर सकेगा।

(2) जब कभी भी बोर्ड, इसमें निहित किसी सार्वजनिक मार्ग या उसके किसी भाग या सार्वजनिक उपयोगिता को रोके या स्थायी तौर पर बन्द करे तो यह यथासाध्य, मार्ग या उसके भाग के हकदारों को, प्रयोग के बदले में प्रतिस्थापित पहुंच के किन्हीं अन्य युक्ति-युक्त साधनों की व्यवस्था करेगा।

(3) जब, बोर्ड में निहित कोई सार्वजनिक मार्ग, उप-धारा (1) के अधीन स्थायी तौर पर बन्द किया जाए, तो बोर्ड उसका इतना भाग, जो दीर्घतर अपेक्षित न हो, बेच सकेगा या पट्टे पर दे सकेगा।

आवास स्कीम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए या परिवर्तित मार्गों और उपबंधित खुले स्थान का स्थानीय प्राधिकरण में निहित करना।

37. (1) जब भी राज्य सरकार का समाधान हो जाए —

(क) कि धारा 29 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आवास स्कीम के लिए यथा अपेक्षित, बोर्ड द्वारा बनाया गया या परिवर्तित कोई मार्ग, सम्यक् रूप से समतल, तैयार, पक्का कर दिया गया है, नाली, मल निकास और नाली की व्यवस्था कर दी गई है ;

(ख) कि ऐसे लैम्प, लैम्प खम्भे और अन्य यंत्रों की, जो सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकरण ऐसे मार्ग के प्रकाश के लिए आवश्यक समझें और जिनकी व्यवस्था बोर्ड द्वारा की जाती है, व्यवस्था कर दी गई है ; और

(ग) कि ऐसे मार्ग में जल और अन्य स्वच्छता सम्बन्धी सुविधाओं की सम्यक् रूप से व्यवस्था कर दी गई है ;

यह, मार्ग को सार्वजनिक मार्ग घोषित कर सकेगी और उस पर मार्ग सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो जाएगा, और तत्पश्चात सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उसको अनुरक्षण, मुरम्मत, प्रकाश और स्वच्छता की व्यवस्था की जाएगी।

(2) जब किसी आवास स्कीम के निष्पादन में संवातन या आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए, बोर्ड द्वारा खुले स्थान का उपबन्ध किया गया हो, तो बोर्ड अपने विकल्प पर संकल्प द्वारा स्कीम के पूर्ण होने पर ऐसे खाली स्थान को सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकरण को अंतरित कर सकेगा और तदुपरि ऐसा खुला स्थान, स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो जाएगा और उसका अनुरक्षण उसके व्यय पर किया जाएगा :

परन्तु स्थानीय प्राधिकरण ऐसे किसी खुले स्थान के ऐसे अन्तरण से पूर्व, बोर्ड से ऐसे स्थान में बाड़ लगाने, उसे समतल करने, घास लगाने, नाली बनाने और ऐसा स्थान बनाने तथा उसमें पैदल मार्गों की व्यवस्था करने, और यदि आवश्यक हो, तो मार्गों में प्रकाश करने के लिए लैम्पों और अन्य यन्त्रों की व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) अगर इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में निर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में बोर्ड और स्थानीय प्राधिकरण के बीच कोई मतभेद पैदा होता है, तो विषय राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उसमें विनिश्चय अन्तिम होगा।

बोर्ड के अन्य कर्तव्य।

38. (1) बोर्ड के परिसर के अनुरक्षण, आबंटन, पट्टे पर देने और उसका अन्यथा उपयोग करने और उसकी बाबत किराया, प्रतिकर और नुकसानी एकत्र करने के लिए आवश्यक उपाय करना, बोर्ड का कर्तव्य होगा।

(2) बोर्ड,—

(i) जब राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, सरकार को तकनीकी सलाह दे सकेगा और उस क्षेत्र में जिसमें इस अधिनियम का विस्तार है, आवास स्कीम के अधीन परियोजनाओं की संवीक्षा कर सकेगा;

(ii) सामान्य रूप से आवास से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर अनुसंधान करने का जिम्मा ले सकेगा और विशिष्टतः स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल आवास निर्माण के सस्ते तरीक ढूंढ़ सकेगा ;

(iii) आवास की समस्याओं के व्यापक सर्वेक्षण का जिम्मा ले सकेगा ; और

(iv) निम्नलिखित के लिए सभी कार्य कर सकेगा :—

(क) भवन-सामग्री के एकीकरण, सरलीकरण और मानकीकरण ;

(ख) आवास संघटक के पूर्वनिर्माण और पुंज उत्पादन को प्रोत्साहित करने ;

(ग) निवासीय या अनिवासीय मकानों के लिए भवन-सामग्री के उत्पादन की व्यवस्था करने या जिम्मा लेने, ; और

(घ) भवन सनिर्माण में प्रशिक्षित कर्मकारों की नियमित और पर्याप्त उपलभ्यता सुनिश्चित करने।

39. राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, बोर्ड द्वारा जिम्मा ली गई किसी आवास स्कीम को, धारा 28 से धारा 33 तक (दोनों को सम्मिलित करके) के सभी या किन्हीं उपबन्धों से, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों जैसी यह अधिरोपित करें या निर्दिष्ट करें कि ऐसा कोई उपबन्ध ऐसी स्कीम को ऐसे उपान्तरण के साथ लागू होगा जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, छूट दे सकेगी। धारा 28 से धारा 33 तक के उपबन्धों से स्कीमों को छूट देने की शक्ति।

अध्याय-1

वित्त लेखा और संपरीक्षा

40. (1) बोर्ड की स्वनिधि होगी। बोर्ड की निधि।

(2) बोर्ड, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए केन्द्र या राज्य सरकारों से या स्थानीय प्राधिकरण या किसी व्यक्ति या निकाय से, चाहे निगमित हो या नहीं, अनुदान-परिदान, संदान और दान स्वीकार कर सकेगा।

(3) राज्य सरकार, बोर्ड को प्रत्येक वर्ष बोर्ड के प्रशासनिक व्ययों के समतुल्य रकम का अनुदान कर सकेगी :

परन्तु ऐसे अनुदान की रकम, बोर्ड की वित्तीय स्थिति द्वारा समर्थित सीमा तक, कम की जा सकेगी या रोकी जा सकेगी।

(4) बोर्ड निधि का गठन, इस अधिनियम के फलस्वरूप, बोर्ड द्वारा या की ओर से प्राप्त सभी धन, भूमि की सभी आगामी या बोर्ड द्वारा बेची गई किसी अन्य प्रकार की सम्पत्ति, बोर्ड को प्रोद्भूत होने वाले सभी किराये या सभी ब्याज, लाभ और अन्य धन से होगा।

(5) राज्य सरकार द्वारा यथा अन्यथा निदेशित के सिवाय, पूर्ववर्ती उपबन्धों में विनिर्दिष्ट सभी धन और प्राप्तियां जो बोर्ड निधि का भाग रूप हैं, भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाएंगी या ऐसी प्रतिभूतियों में विनिहित की जाएंगी जैसी की राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाए।

(6) ऐसा लेखा ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रवर्तित होगा, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

41. बोर्ड में निहित सभी सम्पत्ति, निधि और सभी अन्य आस्तियां इसके द्वारा धारित की जाएंगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा उपयोजित की जाएंगी। निधि का उपयोजन।

42. (1) जहां बोर्ड की राय में अत्यावश्यकता की परिस्थितियां पैदा हुई हों, वहां बोर्ड के लिए किसी वर्ष में निम्नलिखित व्यय करना विधिपूर्ण होगा :— अत्यावश्यकता की दशा में व्यय।

(क) पच्चीस हजार रुपए से अनधिक आवर्ती व्यय; और
(ख) एक लाख रुपए से अनधिक अनावर्ती व्यय।

(2) जहां उप-धारा (1) में यथा उपबंधित अत्यावश्यक परिस्थितियों के अधीन किसी रकम का व्यय किया जाए, वहां उस स्त्रोत को उपदर्शित करते हुए, जहां से व्यय पूरा किया जाना प्रस्तावित है उसकी रिपोर्ट बोर्ड द्वारा यथासाध्य शीघ्रता से, राज्य सरकार को की जाएगी।

43. (1) राज्य सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी राज्य सरकार अवधारित करें, बोर्ड को परिदान दे सकेगी। बोर्ड को परिदान व ऋण।

(2) राज्य सरकार, समय-समय पर ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जैसे राज्य सरकार अवधारित करे, बोर्ड को अग्रिम ऋण दे सकेगी।

बोर्ड की उधार लेने की शक्ति।

44. (1) बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और ऐसी शर्तों पर जो इस निमित्त विहित की जाएं समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित कोई राशि उधार ले सकेगा।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम, बोर्ड को डिबेन्चर जारी करके उधार लेने के लिए और बैंककारों या भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ व्यवस्था करने के लिए सशक्त कर सकेंगे।

(3) बोर्ड द्वारा जारी किए गए सभी डिबेन्चर ऐसे प्ररूप में होंगे जैसा बोर्ड, राज्य सरकार की मंजूरी से, समय-समय पर अवधारित करें।

(4) प्रत्येक डिबेन्चर बोर्ड के अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(5) इस धारा के अधीन उधार लिए गए ऋण और जारी किए गए डिन्बेचर, राज्य सरकार द्वारा, मूलधन का प्रतिसंदाय और ब्याज के ऐसी दर पर संदाय पर जैसी राज्य सरकार द्वारा नियत की जाए, प्रत्याभूत किए जा सकेंगे।

लेखा अ संपरीक्षा।

45. (1) बोर्ड, उचित लेखाबहियां और ऐसी अन्य बहियां रखवाएगा जैसी नियमों द्वारा अपेक्षित हों, और नियमों के अनुसार लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(2) आवास बोर्ड के लेखाओं की समय-समय पर प्रतिवर्ष एक बार, स्थानीय निधि संपरीक्षा के परीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जैसा राज्य सरकार निदेशित करें, संपरीक्षा की जाएगी।

(3) जैसे ही बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा हो जाए तो बोर्ड उस पर उसकी एक प्रति संपरीक्षक की रिपोर्ट की प्राप्ति के साथ राज्य सरकार को भेजेगा और लेखाओं को विहित रीति में प्रकाशित करवाएगा और युक्ति-युक्त मूल्य पर उसकी प्रतियां बेचने के लिए रखेगा।

(4) बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो राज्य सरकार संपरीक्षक की रिपोर्ट के परिशीलन के बाद जारी करना उचित समझे।

लेखाओं की समवर्ती और विशेष संपरीक्षा।

46. (1) धारा 45 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकर आदेश दे सकेगी कि ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वह उचित समझे, बोर्ड के लेखाओं की समवर्ती संपरीक्षा की जाएगी। राज्य सरकार, ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह उचित समझे, किसी विशिष्ट संव्यवहार या संव्यवहारों के एक वर्ग या आवली या विशिष्ट कालावधि से सम्बद्ध बोर्ड के लेखाओं की विशेष संपरीक्षा करने का निदेश भी दे सकेगी।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन आदेश दिया गया हो, बोर्ड ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवाएगा और उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति को ऐसी जानकारी देगा जो कथित व्यक्ति द्वारा संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो और ऐसे व्यक्ति द्वारा बताई गई त्रुटियों का उपचार करेगा या उपचार करवाएगा, जब तक कि वे राज्य सरकार द्वारा उपदर्शित नहीं कर दी जाती।

अध्याय-5

प्रकीर्ण

वार्षिक रिपोर्ट।

47. बोर्ड, प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इसके कार्यकलापों का सही और पूर्ण विवरण देने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएंगी।

संपरीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखना।

47—अ. बोर्ड द्वारा, धारा 45 की उप-धारा (3) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट और धारा 47 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात्, राज्य सरकार, कथित रिपोर्ट राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी :

परन्तु जहां रिपोर्ट बजट सत्र में रखनी हो, यहां वे कथित सत्र की पहली बैठक में सदन के पटल पर रखी जाएगी :

परन्तु यह और कि उस वित्त वर्ष की जिसके बारे में रिपोर्ट है, समाप्ति और रिपोर्ट रखने की मध्यवर्ती कालावधि, नौ मास से अधिक नहीं होगी।

अन्य कथन और विवरणियां।

48. बोर्ड, किसी प्रस्तावित या विद्यमान स्कीम के सम्बन्ध में या बोर्ड के कार्यकरण से सम्बद्ध किसी मामले या कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भी ऐसे आंकड़े, विवरणियां, विशिष्टयां, कथन, दस्तावेज या कागज-पत्र राज्य सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप में तथा एसी रीति में जैसी विहित की जाए या जैसा राज्य सरकार समय-समय पर निदेश दे, प्रस्तुत करेगा

प्रविष्ठि की शक्ति।

49. अध्यक्ष या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सामान्यतः या विशेषतः प्राधिकृत कोई व्यक्ति जब कभी इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या स्वीकृत स्कीमों के किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक है सहायकों या कर्मकारों के साथ या उनके बिना, किसी भूमि में या उस पर —

(क) कोई निरीक्षण सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या जांच करने के लिए;
(ख) समतल करने के लिए ;
(ग) अवमृदा में खुदाई करने या छेद करने के लिए;
(घ) सीमाएं और काम की आशयित सीमा रेखाएं निश्चित करने के लिए ;
(ङ) ऐसे समतल करने, सीमाएं और काम की सीमा रेखाएं और खाईयां बनाने के लिए ; या
(च) कोई अन्य कार्य करने के लिए ;
प्रवेश कर सकेगा :

परन्तु :—

(i) ऐसा प्रवेश सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच नहीं किया जाएगा ;
(ii) निवास गृह में और सार्वजनिक भवन में अधिभोगी की सम्मति के बिना, और कथित अधिभोगी को ऐसे प्रवेश के आशय के कम से कम चौबीस घण्टे पूर्व लेखाबद्ध नोटिस के बिना, निवास गृह में और निधि के रूप में प्रयुक्त सार्वजनिक भवन में इस प्रकार प्रवेश नहीं किया जाएगा ;
(iii) किसी परिसर में बिना नोटिस के यदि अन्यथा प्रवेश करना हो, तो भी प्रत्येक बार, पर्याप्त नोटिस दिया जाएगा ताकि स्त्रियों को विनियुक्त किसी कमरे के निवासी परिसर के किसी अन्य भाग में से जा सकें जहां उनकी एकान्तवास भंग न किया जा सके, ; और
(iv) जहां तक हो सके, उन प्रयोजनों से संगत जिन के लिए प्रवेश किया जाए, उस परिसर के जिसमें प्रवेश किया जाए अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सम्यक ध्यान रखा जाएगा।

बोर्ड के विरुद्ध वाद का नोटिस।

50. कोई भी व्यक्ति, बोर्ड के विरुद्ध या बोड के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध इस अधिनियम के अनुसरण में की गई या की गई तात्पर्यित किसी बात के लिए, बोड, अधिकारी या सेवक या व्यक्ति को आशयित वाद और उसके हेतुक को दो महीने का पूर्व लिखित

नोटिस दिए बिना, न ही उस कार्य की, जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, तारीख से छः मास के पश्चात् वाद प्रारम्भ नहीं करेगा ।

बोर्ड की आस्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन ।

51. बोर्ड, राज्य सरकार के अनुमोदन से नियुक्त मूल्यांकन द्वारा प्रति पांच वर्ष के अन्त में इसका आस्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन करवाएगा :

परन्तु राज्य सरकार किसी भी समय, जब वह आवश्यक समझ, मूल्यांकन करने का निदेश दे सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

52. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम पूर्व प्रकाशन के अध्याधीन होंगे ।

(3) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए बनाए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) सदस्यों के भत्ते और अध्यक्ष का पारिश्रमिक तथा सेवा की शर्तें ;

(ख) धारा 15 के अधीन स्थापित भविष्य निधि का अभिदाय और अंशदान की दरें और अन्य शर्तें ;

(ग) वह रीति और प्ररूप जिसमें धारा 24 के अधीन संविदाएं की जाएंगी ;

(घ) धारा 28 के अधीन बोर्ड के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक बजट का प्ररूप और उसमें अन्तर्विष्ट की जाने वाली अन्य विशिष्टियां ;

(ङ) धारा 29 के अधीन, बजट में सम्मिलित आवास स्कीमों के प्रकाशन की रीति ;

(च) वह शर्त जिसके अधीन बोर्ड धारा 44 के अधीन कोई राशि उधार ले सकेगा ;

(छ) धारा 45 के अधीन लेखाओं के तैयार किये जाने, रखे जाने और प्रकाशन की रीति ;

(ज) वह तारीख जिससे पूर्व प्ररूप जिसमें, अन्तराल जिस पर, और विषय जिन पर, धारा 47 के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ;

(झ) वह समय जब, और वह प्ररूप और रीति जिसमें, धारा 48 के अधीन अंकों, विवरणियों, विशिष्टियों, कथनों, दस्तावेजों और कागज-पत्रों को प्रस्तुत किया जाएगा ;

(ञ) वह रीति जिसमें, धारा 61 के अधीन, बोर्ड अधिक्रांत और पुनर्गठित किया जाएगा ; और

(ट) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित है या विहित किया जाए ।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या उसके ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किसी नियम में कोई परिवर्तन करती है या विनिश्चय करती है कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात ऐसा नियम यथास्थिति ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जायेगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

विनियम बनाने की शक्ति।

53. (1) बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, समय-समय पर इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों से संगत, विनियम बना सकेगा:—

(क) किसी आवास स्कीम के अधीन संनिर्मित ईमारत के प्रबन्ध और प्रयोग के लिए;

(ख) भूमि और परिसरों के आवंटन में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत ;

(ग) धारा 14 के अधीन अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य अधिकारियों और सेवकों के पारिश्रमिक और सेवा की शर्तें; और

(घ) इसकी प्रक्रिया और इसके काम-काज के निपटाए जाने का विनियमन ।

(2) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में कोई विनियम बनाना या उस उप-धारा के अधीन बनाए गए किसी विनियम को संशोधित करना आवश्यक या वांछनीय है, तो यह बोर्ड से ऐसे समय के भीतर जिसे वह विनिर्दिष्ट करे ऐसा विनियम बनाने या संशोधित करने की अपेक्षा कर सकेगी । यदि बोर्ड विनिर्दिष्ट समय में ऐसा विनियम बनाने या उसे संशोधित करने में असफल रहता है, तो राज्य सरकार स्वयं ऐसा विनियम बना सकेगी या उसे संशोधित कर सकेगी और ऐसे बनाया गया विनियम या किया गया संशोधन; बोर्ड द्वारा उप-धारा (1) के अधीन बनाया गया समझा जाएगा ।

उपविधियां बनाने की शक्ति।

54. (1) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों और कृत्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन ऐसी उपविधियां बना सकेगा जो इस अधिनियम में असंगत न हों ।

(2) इस धारा के अधीन बनाई गई उपविधि में यह उपबन्ध किया जा सकेगा कि उनका उल्लंघन अपराध होगा ।

(3) इस धारा के अधीन बनाई गई उपविधि में, हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल ऐक्ट, 1968 (1968 का 19) के अधीन बनाई गई उपविधि के अन्तर्गत आने वाले किसी विषय के लिए, उपबन्ध किया जा सकेगा और ऐसी उपविधियों के प्रकाशन पर कथित अधिनियम की धारा 198 और धारा 200 के अधीन बनाई गई किसी उपविधि, इस धारा के अधीन बनाई गई उपविधि के अन्तर्गत आने वाले विषयों से संबंधित उस क्षेत्र में जहां ऐसी उपविधियां लागू होंगी प्रभावहीन हो जाएगी ।

(4) बोर्ड द्वारा बनाई गई उपविधि तब तक प्रवृत्त नहीं होगी जब तक राज्य सरकार द्वारा परिवर्तन सहित या परिवर्तन के बिना इसकी पुष्टि नहीं कर दी जाती ।

(5) इस धारा के अधीन बनाई गई सभी उपविधियां, राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी ।

उपविधियों के उल्लंघन के लिए शास्ति।

55. जो कोई व्यक्ति धारा 51 के अधीन बनाई गई उपविधि का उल्लंघन करेगा, दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

बाधा डालने के लिए शास्ति ।

56. यदि कोई व्यक्ति,—

(क) किसी व्यक्ति को, जिसके साथ बोर्ड ने संविदा की हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा कर्तव्य करने के अनुपालन में या इस अधिनियम के अधीन सशक्त या अपेक्षित किसी बात के किए जाने में बाधा डालता है या उत्पीड़ित करता है; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत संकर्म के निष्पादन के लिए आवश्यक किसी समतल या दिशा को उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए स्थापित चिन्ह को हटाता है,

वह भी दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

अभियोजन के लिए प्राधिकरण ।

57. कोई भी न्यायालय, जब तक अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, बोर्ड द्वारा परिवाद के या इस निमित्त बोर्ड द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के सिवाय, नहीं करेगा ।

बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना ।

58. जब बोर्ड के सभी सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कृत्य कर रहे हों या कृत्य करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

अधिनियम के अधीन की गई कारवाई के लिए संरक्षण ।

59. इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

बोर्ड को निदेश देने की सरकार की शक्ति ।

60. राज्य सरकार, बोर्ड को ऐसे निदेश दे सकेगी जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों, और ऐसे निदेशों का पालन करना बोर्ड का कर्तव्य होगा ।

कर्तव्य पालन करने में व्यतिक्रम ।

61. (1) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि बोर्ड ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के पालन में व्यतिक्रम किया है, तो वह उस कर्तव्य के पालन के लिए कालावधि नियत कर सकेगी ।

(2) यदि राज्य सरकार की राय में बोर्ड, इस प्रकार नियत कालावधि के भीतर ऐसे कर्तव्य का पालन करने में असफल रहता है या उसकी अवहेलना करता है, तो धारा 5 के किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के लिए विहित रूप में बोर्ड का अधिक्रमण और पुनर्गठन करना विधिपूर्ण होगा ।

(3) बोर्ड के अधिक्रांत किए जाने के पश्चात् और जब तक वह पुनर्गठित नहीं किया जाता, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियां, कर्त्तव्य और कृत्य राज्य सरकार द्वारा या ऐसे अधिकारी या अधिकारियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, कार्यान्वित किये जाएंगे ।

बोर्ड का विघटन ।

62. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकेगी कि बोर्ड का, ऐसी तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, विघटन किया जाएगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से—

(क) बोर्ड में निहित या बोर्ड द्वारा वसूली करने योग्य समस्त सम्पत्ति, निधि और शोध्य, राज्य सरकार में निहित होंगे और वसूल किए जाएंगे ।

(ख) बोर्ड के विरुद्ध प्रवर्तनीय सभी दायित्व, राज्य सरकार में निहित और इस द्वारा वसूल की गई सम्पत्ति, निधि और शोध्यों की सीमा पर्यन्त राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे ।

(3) इस धारा की कोई भी बात, धारा 44 की उप-धारा (5) के अधीन प्रत्याभूत ऋणों या डिबेन्चरों के सम्बन्ध में, राज्य-सरकार के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

63. (1) हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अध्यादेश, 1972 (1972 का 2) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के उत्तस्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।